



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771-2282530/2285590/95 मेल- ro.raipur@ibm.gov.in

No- CHG/RAP/LST-66/RPR

दिनांक -12.01.2021

प्रेषिति-

श्री केदार अग्रवाल,
खान मालिक एवं पट्टेदार,
सी -66, सेक्टर -4, देबेन्द्र नगर,
जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़- 492004
Email: kapilmining@gmail.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के बलोदा बाज़ार जिले में स्थित आपकी पथराकुंडी चूना पत्थर खदान 5.313 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 28.11.2021 by undersigned accompanied by Shri Kedar Agrawal, Mine owner.

Rule	Nature of Violation observed
29	The holder of a mining lease shall send to the authorised officer, as the case may be, and the State Government an intimation in Form C of the Schedule of reopening of a mine after temporary discontinuance, so as to reach them within fifteen days from the date of such reopening but till date reopening notice not receive and without that lessee has reported production in 2020-21 and production and dispatch in 2021-22.
26(2)	The holder of mining lease shall submit to the competent authority a yearly report as per format specified by Indian Bureau of Mines, before 1 st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reason thereof but the same is not submitted till date for 2020-21.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

